

18.03.2019

वकील वादी उपा.

बहुस अंतिम कुनी गई। पत्रावलीवास्ते  
निर्णय संनांक 28.03.2019 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर  
पाली (राज.)

28.03.2019

वकील वादी उपा.

विकृत निर्णय पृथकसे लिखा जाकर  
शामिल मिसल किया गया। निर्णय  
निर्णय वादी का वाद अंतर्गत धारा 5388  
9, 188 R.T. Act 1955 के तहत वकील  
किया जाकर डिफेंड किया जाने योग्य  
नहीं पाये जाने से स्वार्थिन किया जाता  
है। डिफेंड घरचा मुक्ति हो। पत्रावली  
मिसल में सुमार होकर दाखिल इफ्तार  
की जावे।

सहायक कलेक्टर  
पाली (राज.)